https://telegram.me/TheHindu_Zone https://telegram.me/PDF4EXAMS

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 10 अंक 43

चौकस कदम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रीपो दर में कोई बदलाव न करते हुए अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार किया है। यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। फिलहाल यह दर 6.25 फीसदी है। लेकिन नीतिगत दर के दायरे को 50 आधार अंक से कम करके 25 आधार अंक करने के फैसले ने जरूर बाजार को चौंकाया है। रिवर्स रीपो दर (बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास धन जमा करने की दर) को बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक व्यवस्था में नकदी की स्थिति दुरुस्त करने में लगा है। यह बैंकों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ेगी। आरबीआई ने यह भी कहा कि वह अतिरिक्त नकदी से निपटने के लिए बाजार को स्थिर बनाने वाली योजना के साथ-साथ लंबी अवधि की रिवर्स रीपो और मुक्त बाजार गतिविधियों का भी इस्तेमाल करेगा। वह स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) को लेकर सरकार के निर्णय की भी प्रतीक्षा कर रहा था। जनवरी 2014 में ऊर्जित पटेल समिति द्वारा प्रस्तुत इस विचार के तहत बैंकों को अपनी अतिरिक्त नकदी केंद्रीय बैंक में रखने की इजाजत दी गई, बशर्ते कि इसके बदले किसी तरह की प्रतिभूति नहीं होगी।

मुद्रास्फीति को लेकर आरबीआई ने अपना यह रुख बरकरार रखा कि अभी कोई जोखिम नहीं है। निश्चित तौर पर फरवरी में आई पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने मौद्रिक राहत की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। इसकी शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। अलग-अलग चरण में रीपो दर में 175 आधार अंकों की कमी कर उसने न केवल बाजार को चौंकाया था बल्कि अपना रुख भी समायोजन से बदलकर तटस्थ कर दिया था। तब से अब तक के आंकड़े बताते हैं कि मौद्रिक नीति समिति फरवरी में समय से आगे चल रही थी। फरवरी में खुदरा महंगाई 3.65 फीसदी रही। यह सात माह में पहली बार हुआ कि उसमें तेजी आई। थोक महंगाई की बात करें तो वह भी फरवरी में चार साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंची। इससे आगे देखें तो आरबीआई के सामने कई जोखिम भी हैं। मसलन दक्षिण-पश्चिम मॉनसून को लेकर अनिश्चितता। वहीं जुलाई-अगस्त में अल नीनो प्रभाव की आशंका भी जताई गई है। इससे खाद्य महंगाई में इजाफा हो सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन भत्तों में इजाफा एक और चुनौती है। फिर भी खाद्यान्न के बेहतरीन उत्पादन और कच्चे तेल की कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता रहने से मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा तय दायरे में रह सकती है।

आरबीआई द्वारा अतिरिक्त नकदी के प्रबंधन को लेकर चिंतित होने की अलग वजह थी। बैंक जमा 2016-17 में 13 फीसदी बढ़ी जबकि वर्ष 2015-16 में यह दर 9.3 फीसदी थी। बहरहाल इसी अवधि में बैंक ऋण वृद्धि की दर में गिरावट आई और यह 10 फीसदी से घटकर 7 फीसदी हो गई। नोटबंदी के बाद से नकदी की बाढ़ सी आ गई और बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी जनवरी के 7.9 लाख करोड़ रुपये से घटकर मार्च में 4.8 लाख करोड़ रुपये होने के बावजूद रीपो दर का असर लगभग समाप्त हो चला था। इतनी अधिक नकदी आसानी से महंगाई बढ़ा सकती है और आरबीआई खुद कह चुका है कि अप्रैल-सितंबर तिमाही में महंगाई औसतन 4.5 फीसदी जबकि अक्टूबर-मार्च तिमाही में 5 फीसदी रह सकती है। यह मध्यम अवधि के 4 फीसदी के औसत लक्ष्य से अधिक है। सरकार को आगे चलकर खाद्य अर्थव्यवस्था को भी बेहतर ढंग से संभालना होगा। उसे ऐसा कोई लोकलुभावन कदम नहीं उठाना होगा जिससे आरबीआई का गणित खराब हो। आरबीआई गवर्नर ऊर्जित पटेल ने कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं की आलोचना करके सरकार को सख्त संदेश दिया है।

अजय मोहंती

डिजिटल भुगतान में सुरक्षा पर रहे ज्यादा ध्यान

सरकार डिजिटल भुगतान पर जोर तो दे रही है लेकिन इसे ग्राहकों के लिए अधिक से अधिक सुरक्षित बनाए जाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी महत्त्वाकांक्षी दृष्टि के अधीन सारे लेनदेन को बैंकों के जरिये अंजाम देना चाहते हैं, वह भी डिजिटल तरीके से। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय अपनाए हैं। नोटबंदी के दौरान इस तरह की खबरें आमतौर पर सामने आती रहीं कि कैसे चाय वाले और पान वाले छोटे-छोटे भुगतान डिजिटल तरीके से ले रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट और सरकार, बैंक तथा अन्य माध्यमों द्वारा विकसित ऐप के जरिये भुगतान तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे मूल विचार है काले धन पर नियंत्रण कायम करना। हालांकि डिजिटल बैंकिंग की यह दृष्टि और नीति 8 नवंबर 2016 को दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण में पूरी तरह नदारद था।

इसमें दो राय नहीं है कि डिजिटल भुगतान का विकल्प नोट के विकल्प से बेहतर है। आदर्श स्थिति में यह सीधी पहुंच, अत्यधिक सरलता, लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रखने, व्यापक पहुंच और कम लागत वाली व्यवस्था है। अगर ये सारे लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहे हैं तो यह माना जाना चाहिए कि डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया में खामी है। यह बात याद रखनी होगी कि डिजिटल मामले में उपभोक्ता अपना सारा नियंत्रण एक सिस्टम को सौंप देता है जो नकद लेनदेन की तुलना में खासा अस्पष्ट होता है। जाहिर सी बात है कि डिजिटल लेनदेन को उपभोक्ताओं के लिए एकदम स्पष्ट और पारदर्शी हो। अपेक्षाकृत मजबूत पक्ष यानी बैंकों को कमजोर यानी ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यही वजह है कि डिजिटल सेवाएं तब बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं जब विक्रेता एक ऐसा तरीका निकालता है जहां ऐसे विकल्प पहले से मौजूद रहते हैं जो उपभोक्ता के लिए मददगार हों। अगर ऐसा नहीं होता तो डिजिटल माध्यम एक दु:स्वप्न की तरह है क्योंकि खरीदार पूरी तरह कंप्यूटर सर्वर और कॉल सेंटर की मर्जी पर आश्रित रहता है।

हर कोई यह मानता है कि भारतीय ई-कॉमर्स जगत अपने मौजूदा आकार से बहुत छोटा होता अगर भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों ने कैश ऑन डिलिवरी यानी नकद भुगतान पर सामान मुहैया कराने का विकल्प नहीं दिया होता। अगर ये कंपनियां भी पहले भुगतान करने का विकल्प अपनातीं तो क्या होता? बैंकों के ग्राहक आज ऐसी ही स्थिति से दोचार हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जिनका सामना बैंकों के ग्राहकों को कभी न कभी करना पड़ता है।

बैंक के डिजिटल लेनदेन में जवाबदेही: बैंक के डिजिटल लेनदेन कई वजहों से गलत हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। डेबिट कार्ड और बैंक खाते का हैक होना नई बात नहीं है। डिजिटल भुगतान की बढ़ती तादाद के बीच जरूरत यह है कि उपभोक्ताओं को अवांछित गतिविधियों से बचाया जाए। आज बचाव का पूरा उत्तरदायित्व ग्राहक पर है, न कि बैंक पर। जबकि भुगतान व्यवस्था पूरी तरह बैंक के नियंत्रण में है, फिर भी ग्राहकों से डिजिटल लेनदेन अपनाने को कहा जा रहा है। हम बिना उपभोक्ताओं के बचाव का उचित उपाय किए डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि अधिकांश देश इस विषय में उचित व्यवस्था कर चुके हैं।

ई-वॉलेट लेनदेन की जवाबदेही: आपको ई-वॉलेट कंपनी से एक ई-मेल मिलता है कि आपका लेनदेन सफल रहा। लेकिन मान लीजिए ऑनलाइन कारोबारी कंपनी कहती है कि उसे पैसा नहीं मिला तब? आपका पैसा साइबर जगत में खो गया। आपके पास क्या विकल्प शेष हैं? कमोबेश कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम के विफल लेनदेन के लिए नियम बना रखे हैं। उपभोक्ता की शिकायत का सात दिन में निवारण जरूरी है, वरना 100 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होता है। परंतु वॉलेट या यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। यहां तक कि एनईएफटी और आईएमपीएस जैसे ढांचों में भी उपभोक्ता को छोटी-मोटी गलती के लिए दंडित किया जाता है

अपर्याप्त कानून: डिजिटल भुगतान को लेकर बहुत अधिक कानून नहीं हैं। ई-वॉलेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं इसलिए उन पर बैंकों के नियम लागू नहीं होते। जबकि वित्तीय क्षेत्र की तकनीकी कंपनियों का सुरक्षा अनुपालन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43ए के अधीन आता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता पवन दुग्गल के मुताबिक एक उपभोक्ता और मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता के बीच का लेनदेन बमुश्किल अनुबंधित होता है जिसे कभी भी खारिज किया जा सकता है। उन्होंने कुछ माह पहले इस समाचार पत्र में लिखा था कि देश में डिजिटल भुगतान को कानूनी समर्थन देने की आवश्यकता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का पैसा सुरक्षित होगा बल्कि खुद कंपनियों का भी बचाव होगा। इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मामला कौन देखेगा? वह खुलकर कहते हैं कि डिजिटल भुगतान को लेकर उपजे किसी भी विवाद से निपटने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

अतिरिक्त शुल्क/शुल्क चोरी: डिजिटल भुगतान में सबसे अहम है भागीदारी। उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा के लिए अपनी स्वीकृति देनी होती है। भारतीय बैंक अब तक सन 1990 के दशक की मानसिकता से उबर नहीं सके हैं। वे मानकर चलते हैं कि ग्राहक को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सी सेवा नहीं लेगा। वरना उससे शुल्क वसूल किया जाएगा। बैंक लगातार शुल्क बढ़ा रहे हैं और विकल्प कम करते जा रहे हैं। यह सारी कवायद डिजिटल लेनदेन के नाम पर की जा रही है।

एक ओर जहां तकनीक के दम पर दुनिया भर में वित्तीय कारोबार तेजी से डिजिटल हुए हैं (भारत में सरकार के चलते) वहीं तमाम देशों के नीति निर्माता ग्राहकों के बारे में सबसे आखिर में सोचते हैं। माइक्रोसेव द्वारा बांग्लादेश, फिलीपींस और यूगांडा में डिजिटल बैंकिंग पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक सबसे ज्यादा मसले अवैध शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, धनराशि के साइबर जगत में खोजने और खराब डिजिटल सेवा के ही आते हैं। आज वित्तीय सेवा प्रदाताओं का रुख ऐसा है कि वे हर समस्या के लिए ग्राहक को ही दोषी ठहराते हैं। यह डिजिटल जगत के श्रेष्ठ कार्य व्यवहार के विपरीत है। हकीकत में डिजिटल लेनदेन को नैसर्गिक तौर पर ग्राहक के पक्ष में होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री सुनिश्चित करेंगे कि देश में ऐसा हो?

'अच्छे दिन' के नाम पर उत्साह का सिलसिला लगातार बरकरार

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

'बाजार में तेजी लाना' एक ऐसा जुमला है जिसे बाजार जगत के पेशेवर बहुत पसंद करते हैं। इसका अर्थ है ऐसी कोशिशें जिनके चलते बाजार में उपभोक्ता की रुचि लगातार बनी रहे। इसमें नई पेशकश करना, पहले से चले आ रहे उत्पादों का विस्तार, नई योजनाएं आदि सभी शामिल हैं। किसी भी प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए यह मूलभूत नियम है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का व्यापक एजेंडा इसी मानक बाजार तकनीक को दर्शाता नजर आता है।

वर्ष 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जबरदस्त जीत के बाद देश के मुखिया ने सभी भारतीयों (पढ़ें उपभोक्ताओं) को लगातार इस स्थिति में बनाए रखा है जहां वे अगले बड़े तमाशे का इंतजार करते नजर आते हैं। कहीं सामाजिक बदलाव के प्रयोग चल रहे हैं तो कहीं निर्दोष साबित करने या शुद्धीकरण का कार्यक्रम चल रहा है।

आम चुनाव के दौरान अच्छे दिन का वादा किया गया था लेकिन कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार में घिरी संप्रग सरकार के आखिरी दिनों के विपरीत यह सरकार काम करती हुई तो नजर आती ही है। शुरुआत करते हैं विदेश नीति से। मनमोहन सिंह शक्तिहीन और उम्रदराज भले थे लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ असैन्य नाभिकीय समझौता करके देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने से बचाया। लेकिन हमारे नए प्रधानमंत्री की ऊर्जा, प्रतिबद्धता और उनकी चतुराई के सामने वह कुछ भी नहीं था। नए प्रधानमंत्री के पास संसद में बहुमत की शक्ति भी है।

सरकार बनने के तत्काल बाद शपथग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया गया। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की मां के लिए साड़ी का आदान-प्रदान किया। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का भव्य स्वागत किया गया। दोनों नेताओं की झूले पर तस्वीर भी सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मोदी के रिश्ते की भी खूब चर्चा हुई। खासतौर पर उस सूट की जिस पर उनके नाम की कढ़ाई की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गणतंत्र दिवस समारोह में भी शिरकत की। जापान में उनकी ड्रम बजाती और चाय पर ली गई तस्वीर सामने आई। अमेरिका में उन्होंने किसी रॉक स्टार की तरह लोगों को संबोधित किया। सेल्फी की तो बात ही मत पूछिए।

इस बीच घरेलू नीति में कई योजनाएं सामने आईं। जन धन, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, उदय, जाम, 3एस, एमओएम, यूएसटीटीएडी आदि योजनाएं इसका उदाहरण हैं। एक वेबसाइट पर जून 2016 तक ऐसी 30 योजनाएं दर्ज थीं। जबकि एक अन्य पर 32। पुराने योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया।

मोदी के पास इतना वक्त था कि उन्होंने हर किसी के बारे में विचार किया। उदाहरण के लिए उन्होंने एक घंटे के भाषण में बच्चों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। बच्चों को दूरदर्शन पर उनका यह भाषण अनिवार्य तौर पर सुनना पड़ा। सुशासन को लेकर उनकी चिंता का यह आलम था कि उन्होंने उसका नाम बदलकर सुशासन दिवस कर दिया। पवित्र गाय को लेकर उनकी चिंता के चलते लगभग पूरे देश में बीफ पर प्रतिबंध की स्थिति बन गई और बूचड़खानों, कारोबारियों, दलितों पर हमलों की शुरुआत हो गई। एक निर्दोष मुस्लिम व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। छात्रों, गोरक्षकों का उत्साह बढ़ा और हिंदू आस्था जोर मारने लगी। देशभक्ति को नए सिरे से परिभाषित किया जाने लगा। मतभेद रखने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाने लगी।

कारोबारी समुदाय के साथ सरकार की करीबी ने सारी सीमाएं पार कर लीं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर फरवरी 2008 के 5.7 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर के करीब आ गया। जीडीपी वृद्धि में हमने चामत्कारिक रूप से चीन को पीछे छोड़ दिया। इन अनवरत प्रयासों के चलते एक के बाद एक जहां राज्य दर राज्य भाजपा का शासन स्थापित होता गया (बिहार में जरूर उसे पराजय का सामना करना पड़ा), विपक्ष अप्रासंगिक होता चला गया। इन तमाम बातों से हुआ क्या? क्या भारत रोजगार और विकास के मामले में स्वर्ग बन गया? मौजूदा सरकार ने वादा तो यही किया था।

विदेशी निवेशक उत्साहित हैं, लेकिन देसी निवेशक चिंतित नजर आ रहे हैं। वर्ष 2014 से 2016 के बीच 112 खरब रुपये मूल्य के 6,124 निवेश प्रस्ताव आए और कहा गया कि इनसे 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर वर्ष 2011-2013 के आंकड़ों की बात करें तो उस अवध में 260 खरब रुपये के 9,000 से अधिक प्रस्ताव आए थे जिनसे 38 लाख रोजगार तैयार होने थे। यह वह दौर था जब संप्रग सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही थी। ये केवल प्रस्ताव हैं और हमें कोई अंदाजा नहीं कि इनमें से कितने फलीभूत हुए। लेकिन इनसे कारोबारी रुझान का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है।

मोदी के कार्यकाल की सबसे अहम परिघटना रही नोटबंदी। इसके चलते एक झटके में 80 फीसदी से अधिक प्रचलित मुद्रा बंद हो गई। हमसे कहा गया कि इससे काले धन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उसके बाद जब बैंकों में नोटों की बाढ़ आ गई तो कहा गया कि यह कवायद अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करने के लिए की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐन पहले उन्होंने विपक्ष को एकदम नकदीशून्य कर दिया। इसके बाद दिसंबर में समाप्त तिमाही में जीडीपी की वृद्धि 7 फीसदी बताई गई। इस बात ने हर किसी को चकित कर दिया था।

अब एक शख्स को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिसके नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश इस समय सबसे गरीब और बेरोजगार राज्य में वर्ष 2014 की प्रचार नीति का ही विस्तार देख रहा है। ऐसे में यह सवाल बना रहेगा कि हमें आगे क्या कुछ देखना है?

कानाफूसी

बिन आग उठा धुआं

एक पुरानी कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। लेकिन कहावतें हमेशा सही साबित नहीं होती हैं। इस मामले में भी यही हुआ। दरअसल बुधवार की शाम केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कमरे का फायर अलार्म अचानक बज उठा। जिस वक्त फायर अलार्म बजा, उस वक्त सिंह अपने कार्यालय में मौजूद थे। फायर अलार्म बजने के बाद सुरक्षा अधिकारी तत्काल वहां पहुंच गए। तत्काल आग बुझाने वाले उपकरणों की व्यवस्था की गई। लेकिन अधिकारियों को वहां आग का कोई नामोनिशान नहीं मिला। इस बारे में कोई अनुमान नहीं लग पाया कि आखिर धुआं कहां से उठ रहा था। आखिर में यही अनुमान लगाया गया कि या तो किसी कर्मचारी ने वहां सिगरेट पी होगी या फिर बिजली के तारों से किसी वजह से धुआं निकला होगा जिससे फायर अलार्म बज गया।

कॉफी पर चर्चा

इस सप्ताह के आरंभ में बिजली, कोयला और खनन मंत्री पीयूष गोयल ने मशहूर कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के एक आउटलेट में मीडिया के साथ अनौपचारिक मुलाकात का आयोजन किया। आमतौर पर केंद्र सरकार के मंत्री ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें अपने घर पर ही आयोजित करते हैं। ऐसे में यह आयोजन चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि कैफे कॉफी डे में यह आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके एस एम कृष्णा को ध्यान में रखकर किया गया होगा। दरअसल कैफे कॉफी डे की मूल कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज के मालिक और संस्थापक वी जी सिद्धार्थ का विवाह कृष्णा की बेटी से हुआ है। कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वह केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

आपका पक्ष

शुल्क मुक्त चीनी आयात से नुकसान

केंद्र सरकार 5 लाख टन शुल्क मुक्त आयात करने जा रही है। इसकी वजह देश में चीनी उत्पादन में गिरावट बताई जा रही है। शुल्क मुक्त चीनी आयात करना गन्ना किसानों के हित में नहीं है। भारत दुनिया में चीनी का चौथा बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। देश में चीनी का सीजन अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष देश में 2.25 करोड टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। यह अनुमान प्रारंभिक आंकड़ा है। देश में चीनी का उत्पादन ज्यादा भी हो सकता है। पिछले वर्षों में पूर्व की सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात किया गया। इस वजह से चीनी के दाम घरेलू बाजार में निम्न स्तर पर आ गए थे। देश का चीनी उद्योग किसानों का भुगतान भी समय से नहीं कर पा रहा था, जिससे गन्ना किसानों के क्षेत्रों में भी आत्महत्या की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। देश में पिछले वर्ष 234 लाख टन

और वर्ष 2015-16 में 251 लाख टन का बंपर उत्पादन हुआ था। पिछले वर्ष का गन्ना सत्र समाप्त होने के बाद सितंबर में देश में 48.5 लाख टन चीनी मिलों के पास खपत से ज्यादा थी। गन्ने की बुआई को देखते हुए आगामी गन्ना सीजन में भी 255 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। पूर्व में

सरकार द्वारा चीनी आयात किए जाने से गन्ना किसानों की चिंता बढ़ जाएगी

भी 40 लाख टन चीनी का जो आयात किया था वह चीनी भी अभी बाजार में उपलब्ध है। लिहाजा देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अगर सस्ती कच्ची चीनी का आयात किया जाता है तो कई वर्षों से मार झेल रहे गन्ना किसानों के फिर से बुरे दिन चालू हो जाएंगे। इसलिए कच्ची चीनी आयात के किसान विरोधी फैसले को अविलंब वापस लिया जाए।

धर्मवीर सिंह, मेरठ

नहीं पूरी हुई सस्ते कर्ज की उम्मीद

नोटबंदी के बाद जानकार कह रहे थे कि इस फैसले से भविष्य में कर्ज सस्ता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक कर्ज दरों में कटौती करेगा। लेकिन आज मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरें घटाने की उम्मीद पूरी नहीं हुई। महंगाई बढ़ने के जोखिम के मद्देनजर आरबीआई ने मुख्य नीतिगत दर रीपो दर को 6.25 फीसदी के स्तर पर बरकरार रखा। हालांकि बैंकों में पड़ी अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए उसने रिवर्स रीपो दर को 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया। अब इस पैसे पर बैंकों को अधिक ब्याज मिलेगा जबकि दूसरी तरफ फौरी जरूरत के लिए रिजर्व बैंक से लिए गए धन पर उन्हें पुरानी दर 6.25 प्रतिशत पर ही ब्याज देना होगा। कुल मिलाकर बैंकों को फायदा होगा, उनके कोष की लागत एक तरह से कम हो सकती है। ऐसे में वे आगे कर्ज सस्ता करने की स्थिति में हो सकते हैं। जाहिर है अभी भले ही लोगों को सस्ते कर्ज की सौगात न मिली हो, लेकिन आरबीआई की अगली मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरें घटने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि लोगों को नोटबंदी के दौरान हुई परेशानियों के फायदे के रूप में कर्ज सस्ता करना चाहिए था। इससे आम कर्जदारों के साथ छोटे कारोबारियों को भी फायदा होता।

अनिल गुप्ता, मुंबई

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।